पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाश नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांकः /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/जी–4 दिनांकः 03.09.2019

विषय : दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–116/1998 जस्टिस सुनन्दा भण्डारे फाउण्डेशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के सम्बन्ध में।

अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध

मुख्य अभियन्ता (परि0एवंअनु0)/(परियोजना)/(जानपद) (अति0का0),
गढ़वाल/कुमाऊँ क्षेत्र,
पिटकुल,
रूड़की/हल्द्वानी/देहरादून।

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 396/XVII-4/2019-36 (वि0क0)/रिट/2015 दिनांक 29.08.2019 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित **रिट याचिका सं0–116/1998 जस्टिस सुनन्दा भण्डारे फाउण्डेशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया** में पारित निर्णय के अनुक्रम में **'सुगम्य भारत अभियान'** के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के लिए सरकारी भवनों को सुगम्य बनाये जाने हेतु पुनः दिनांक 30/08/2019 को आहूत बैठक में शत–प्रतिशत सरकारी भवनों को दिव्यांगजनों हेतु सुगम्य बनाये जाने के अन्तर्गत निम्नलिखित सभी सात प्राविधानों का धरातल पर निर्माण कर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये एवं अनुपालन आख्या समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को दिनांक 12.09.2019 तक अवश्यमेव प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, चूंकि मा0 उच्चतम न्यायालय में उक्त रिट याचिका में अगली सुनवाई की तिथि 20.09.2019 निर्धारित एवं शासन द्वारा दिनांक 15.09.2019 तक आख्या मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जानी है।

1. Lift 2. Ramps 3. Parking-Disable Friendly 4. Sign Board
5. Handrailing 6. Wheel Chair 7. Washroom- Disable Friendly

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 983/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/जी–4 दिनांक 11.07.2019 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा भी उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में उपरोक्त व्यवस्थायें पूर्ण कर वांछित सूचना अविलम्ब उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु वांछित सूचना आज पर्यन्त अपेक्षित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय भवनों में दिव्यांगजनों हेतु सुगम्य बनाये जाने हेतु सभी सात प्राविधानो का धरातल पर निर्माण पूर्ण करते हुए अनुपालन आख्या/वांछित सूचना दिनांक 11.09.2019 तक अवश्यमेव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि सूचना ससमय उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराई जा सके।

चूंकि प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय से सम्बन्धित है, अतः कृपया प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए इसे अतिमहत्वपूर्ण एवं अतिआवश्यक समझें।

संलग्नक : यथोपरि।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)

पत्रांकः 1246 /मा0सं0एवंप्र0वि0/ पिटकुल/जी–4 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सहायक–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निदेशक (परिचालन)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
3. उपमहाप्रबन्धक (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को पिटकुल की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)

तत्काल/मा0 उच्चतम न्यायालय प्रकरण/सर्वोच्च प्राथमिकता
संख्या 396 /XVII-4/2019-36 (वि0क0)/रिट/2015

प्रेषक,
मेजर योगेन्द्र यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

समाज कल्याण अनुभाग-04 देहरादून: दिनांक 29 अगस्त, 2019

विषय-दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-116/1998 जस्टिस सुनन्दा भण्डारे फाउण्डेशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र संख्या-245/XVII-4/2019-36 (वि0क0)/रिट/2015 दिनांक 19 जून, 2019 एवं पत्र संख्या-334/XVII-4/2019-36 (वि0क0)/रिट/2015 दिनांक 29 जुलाई, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा अवगत कराया गया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-116/1998 जस्टिस सुनन्दा भण्डारे फाउण्डेशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में अधिनियम के प्रत्येक प्राविधान का सतत् अनुश्रवण किया जाना है तथा विभाग द्वारा दिव्यांगजन से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों/बैठकों हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करने की सूचना उपलब्ध करायी जाय।

2 अवगत कराना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रिट याचिका में दिनांक 19.08.2019 को विस्तृत आदेश पारित कर अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 20.09.2019 की तिथि प्रति शपथ-पत्र योजित किये जाने हेतु निर्धारित की गयी है, जिसमें मुख्य सचिव महोदय की व्यक्तिगत उपस्थिति मा0 न्यायालय के समक्ष हो सकती है तथा मा0 न्यायालय द्वारा प्रतिकूल आदेश पारित किये जा सकते है।

3 अतः प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 30.08.2019 को अपरान्ह 03:30 बजे एफ0आर0डी0सी0 सभाकक्ष में एक बैठक आयोजित की गयी है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण के सम्बन्ध में अब तक की गयी अद्यतन कार्यवाही की सूचना सहित विभाग में नामित नोडल अधिकारी को बैठक में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव।

संख्या /(1)XVII-4/2019-36 (वि0क0)/रिट/2015,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं संज्ञानार्थः-
1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

Urgent: DGM (HR) and EE (Civil) Sri Dharmendra to attend

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव।

1899
30/8/19

2019-8-30 10:09